रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II— Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 395] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 1998/आश्विन 23, 1920
No. 395] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 1998/ASVINA 23, 1920

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1998

**सा. का. नि. 619 (अ).**—सिविल रिट याचिका सं 890/91 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तारीख 21-8-1997 के अपने आदेश से निदेश दिया है कि "केन्द्रीय सरकार, तारीख 2-3-1991 की अधिसूचना पर पुनर्विचार कर सकती है" और "ऐसी सामग्री जो इसके पास उपलब्ध हो अथवा किसी प्रामाणिक अभिकरणों अथवा ऐसे अन्य अभिकरण अथवा विशेषज्ञ समिति, जिसे यह नियुक्त करना पसंद करती है, के माध्यम से इकट्ठा कर सकती है, पर विचार कर सकती है";

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने किसी अधिप्रमाणित अभिकरणों अथवा ऐसे अन्य अधिकरण/व्यक्तियों के पास उपलब्ध अतिरिक्त सामग्री को ध्यान में रखते हुए तारीख 2-3-91 की अधिसूचना सा.का.नि. 252 पर फिर से विचार करने हेतु वन अपर महानिरीक्षक (वन्य प्राणी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है,

उक्त समिति ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

केन्द्रीय सरकार ने उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की तारीख 2-3-91 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 252 तथा तारीख 7-8-1991 की सा.का.नि. सं. 485 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह विनिर्दिष्ट करती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित पशुओं को तमाशा दिखाने वाले पशुओं के रूप में प्रदर्शित अथवा प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

1. भालू 2. बन्दर 3. बाघ
4. तेंदुआ 5. शेर

[फा. सं. 9-9/97-ए. डब्ल्यू]

डॉ. एम. एस. अहमद, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 1998

**G.S.R. 619(E).**—Whereas the High Court of Delhi in C.W.P. No. 890/91 by its order dated 21st August, 1997 directed that "the Central Government may take up the notification dated 2-3-1991 for consideration afresh" and "take into consideration such material as may be available with it or it may choose to collect through any of the authentic agencies or such other agency or committee of experts as it may choose to appoint";

Whereas in pursuance of the order of the Hon'ble High Court of Delhi, the Central Government constituted a Committee under the Chairmanship of Additional Inspector General of Forests (Wildlife) to have a fresh look at the notification G.S.R. No. 252 dated 2-3-1991 in the light of the additional material available with any authenticated agencies or such other agency/ persons;

Whereas the said Committee submitted its report to the Central Government;

Whereas the Central Government has taken into consideration the report of the said Committee;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 22 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), and in supersession of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests G.S.R. No. 252 dated 2-3-1991 and G.S.R. No. 485 dated 7-8-1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies that the following animals shall not be exhibited or trained as a performing animals, with effect from the date of publication of this notification, namely :—

1. Bears 2. Monkeys 3. Tigers
4. Panthers 5. Lions

[File No. 9-9/97-A.W.]

Dr. M.S. AHMAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998